

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विद्यालय - हरमण्डल 2 भाग, भोपाल - 462 026

क्रमांक 102 / परीक्षा / 2024

भोपाल, दिनांक 31/05/2024

अधिसूचना

माननीय कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश 34 ए में संशोधन मान्य किया गया है। संशोधन अनुसार विश्वविद्यालय के बी.यू.आई.टी. शिक्षण संस्थान के बी.ई./बी.टेक के छात्र/छात्राओं के लिए 5.0 सीजीपीए की बाध्यता समाप्त की गई है। तदनुसार 34 ए के प्रावधानानुसार उक्त पाठ्यक्रमों (सत्र 2021-22) के अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की परीक्षा आयोजित की जावेगी।

नोट:- समयसारणी शीघ्र ही जारी की जावेगी।

आदेशानुसार




कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ. क्रमांक : 102 / परीक्षा / 2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक : 31/05/2024

1. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. संचालक बी.यू.आई.टी शिक्षण संस्थान ब.वि.वि.भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप-कुलसचिव, गोपनीय/अकादमी/भंडार, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
4. वित्त अधिकारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. मान.कुलपतिजी के सचिव, के माध्यम से मान.कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ ।
6. मान.कुलसचिव के निज सचिव, के माध्यम से मान.कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ ।
7. प्रभारी, स्वागत एवं पूछताछ/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/जनसंपर्क अधिकारी/परीक्षा नियंत्रण कक्ष ।
8. प्रभारी वेबसाइट ब.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित नस्ती।



परीक्षा नियंत्रक

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल